

**डीआरआई ने आईजीआई हवाई अड्डे पर 1.698 किलोग्राम कोकीन जब्त की, जिसकी कीमत 16.98 करोड़ रुपये है**

प्रविष्टि तिथि: 23 AUG 2023 5:12PM by PIB Delhi

मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई जारी रखते हुए, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) एक केन्याई यात्री को पकड़ने में सक्षम रहा, जो नैरोबी से कल नई दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर आया था।

मौखिक पूछताछ करने पर, यात्री ने कोई भी प्रतिबंधित वस्तु लाने से इनकार किया। हालांकि, डीआरआई अधिकारियों द्वारा संदिग्ध के सामान की जांच के परिणामस्वरूप, लगभग 1,698 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसका अवैध अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित मूल्य लगभग 17 करोड़ रुपये है। उसके पास मुंबई का एक हवाई टिकट मिला, जो कुछ घंटों बाद रवाना होने वाली उड़ान की थी। इससे पता चलता है कि प्रतिबंधित पदार्थ की डिलीवरी मुंबई में की जानी थी।

निरंतर पूछताछ और निगरानी के बाद, डीआरआई अधिकारियों द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई योजनाबद्ध कार्रवाई के परिणामस्वरूप प्रतिबंधित दवाओं के इच्छित प्राप्तकर्ता को पकड़ने में सफलता मिली। प्राप्तकर्ता, एक महिला केन्याई नागरिक है, जिसे वसई इलाके से पकड़ा गया।



प्रतिबंधित मादक पदार्थ को ले जाने वाले और प्राप्त करने वाले, दोनों को स्वापक-औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है।

जनवरी-जुलाई 2023 के दौरान, डीआरआई ने देश भर में कोकीन और हेरोइन की 42 बरामदगी की हैं। जनवरी-जुलाई 2023 की अवधि के दौरान, डीआरआई अधिकारियों द्वारा 31 किलोग्राम से अधिक कोकीन और 96 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है।

\*\*\*

**एमजी/एमएस/आरपी/जेके/डीसी**

(रिलीज़ आईडी: 1951492) आगंतुक पटल : 355

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: [English](#) , [Urdu](#) , [Tamil](#) , [Telugu](#)